न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 26 / 2017
प्रविष्टि दिनांक 16.02.2017

श्रीमति शुकन्तला पत्नि प्रभूदयाल जाति जाट निवासी बमोर हाल शास्त्री नगर टोंक
–अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार टोंक जिला–टोंक राजस्थान
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक दिनांक 05.12.2016. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री महेश शर्मा,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 24.01.2018**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2016 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 1471 रकबा 4 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम बमोर पर अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 05.12.2016 को नोटिस का जवाब पेश किया गया था,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब के अवलोकन के बिना ही निर्णय पारित किया गया है। गै0मु0 रास्ते पर अपीलांट का अतिक्रमण नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे भी निर्णय दिनांक 29.09.2011 द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नही मानते हुए धारा 91 की रिपोर्ट खारिज की गई है। खसरा नं0 1471 गै0मु0 रास्ते ग्राम बमोर के लगवा अपीलांट की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि स्थित है। गै0मु0 रास्ता व अपीलांट की भूमि के बीच अन्य व्यक्तियो द्वारा अतिक्रमण कर रखा है,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उन अतिक्रमियो को बचाने के लिए यह निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है।अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलेक्टर
टोंक

द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी ने गै0मु0 रास्तें पर अतिक्रमण किया है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस का जवाब पेश किया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट द्वारा ग्राम बमोर के खसरा नम्बर 1471 रकबा 4 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर पक्की बाउड्रीवाल व पक्की नींव का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। तहसीलदार टोंक ने निर्णय दिनांक 29.09.2011 से अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर जो रोड बनाया गया है उसको जनउपयोगी कार्य मे लिये जाने के कारण उक्त निर्माण को अतिक्रमण की परिभाषा मे नही मानते हुये अपीलांट के विरूद्व पेश की गई भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की प्रस्तुत रिपोर्ट खारिज की गई है। पुनः नायब तहसीलदार टोंक ने प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए शास्ति कायम कर बेदखली का आदेश पारित किया है जो उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.2016 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते